

(iv) उपभोक्ता की अनजानता एवं विवेकहीन व्यवहार का अभाव इस नियम में यह मान्यता रखी जाती है कि उपभोक्ता का व्यवहार विवेकहीन होता है वह अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करना चाहता है लेकिन यह भी सत्य है कि उपभोक्ता हमेशा विवेक से कार्य नहीं करता उपभोक्ता की प्रतिदिन विभिन्न गद्दों पर व्यय करना पड़ता है। वह हमेशा वस्तुओं से मिलनेवाली उपयोगिता का हिसाब-किताब नहीं रखता, न ही उसका किमांग गणना मशीन है, जो हमेशा एक - सीमांत उपयोगिता की जानकारी अनुसार वस्तुओं पर खर्च करे। उपभोक्ता जानकारी के अभाव में, प्रति - रिवाज और फैशन के प्रभाव में वेसी वस्तुओं पर भी खर्च करता है जिनकी सीमांत उपयोगिता कम होती है, अतः उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती।

(iii) वस्तुओं के सूक्ष्म - विभाजन - संबंधी कठिनाई :-

ऐसी होती है जिसका सूक्ष्म विभाजन नहीं हो सकता, कुछ वस्तुएँ पर, वस्तु की उपयोगिता नष्ट हो जा सकती है। ऐसा होने पर सीमांत उपयोगिता नहीं जानी जा सकती। उदाहरण के लिए, हीरा या बस - इन्हें छोटी इकाइयों में नहीं बाँटा जा सकता, इसलिए खर्च की जानेवाली मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की माप नहीं की जा सकती।

(iv) बजट आवधि की अनिश्चितता :-

बजट आवधि अनिश्चित नहीं है जबकि यह सिद्धांत उपभोक्ता के दाय में साधनों की निश्चित मात्रा की मान्यता पर आधारित है। आधिकांश उपभोक्ता आय तथा व्यय का बजट नहीं बनाते। आवश्यकतानुसार परिस्थितियों के प्रभाव में खर्च करते जाते हैं।

उदाहरण: वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता की तुलना नहीं की जा सकती।

(vii) रीति - रिवाज तथा धर्म का प्रभाव -

रीति - रिवाज के प्रभाव में उपभोक्ता बहुत बार-बार अपनी सीमांत उपयोगिता की तुलना नहीं करता है जो वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता के लिए आवश्यक ही नहीं होती। जो कम उपयोगिता होती है चाहे बाटी - विवाह या शादी का समय ही या रंगीन वस्त्रों के अर्थ में इत्यादि का, सीमांत उपयोगिता का ह्रास उसे बिना खर्च किया जाता है।

(viii) वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन -

जीवन में वस्तुओं की कीमत में अचानक परिवर्तन होता रहता है। इसके कारण उपभोक्ता को अपनी खपतें बचाने की जरूरत पड़ती है। इनके लिए सम-सीमांत नियम का अनुसरण करना चाहिए।

(ix) वस्तुओं का विकल्प -

कुछ वस्तुएँ विकल्प किसमें होती हैं जैसे स्फूर्त, हीवीट इत्यादि, जिनका प्रयोग मात्र एक ही बार नहीं बल्कि लम्बे समय तक, कई वर्षों तक, किया जाता है। इस तरह की विकल्प वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता का परा लगाना चाहिए।

(x) उपभोग नियंत्रण एवं रक्षणियाँ -

कभी-कभी देश में वस्तुओं की कमी को हटाने में रखते हुए वस्तुओं की रक्षणियाँ की जाती हैं। उपभोग को नियंत्रण करने का प्रयास होता है। इन परिस्थितियों में ही इस नियम की व्याख्यात्मक कठिनाई होती है। यह लागू नहीं होता।

इस तरह हम पाते हैं कि इस नियम के माग्य होने के रहते ही अनेक कठिनाइयाँ हैं। लेकिन, इनके कारण यह नियम बिल्कुल उपयोगिताशून्य हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। इस नियम को उपभोग का एक आवश्यक नियम माना जाता है। इस नियम को नियंत्रण के अनेक क्षेत्रों में लागू किया जाता है।